औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 17.8.2007 से 31.3.2015

1 प्रस्तावना

प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्या EDN (TE) A(1) 30/2006 दिनाँक 17.8.2007 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ आरम्भ किया है। उक्त संस्था का यह प्रथम अंकेक्षण है। अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहेः—

क्र0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री छोटू राम डांगी	17.8.07 से 4.12.14
2	श्री सुरजीत सिंह	5.12.14 से 31.3.15

2 वर्तमान अंकेक्षण

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ के निधि लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 20.8.15 से 25.8.15 के दौरान संस्थान में किया गया। अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आयः— 1/11, 8/11, 8/12, 8/13 व 8/14

व्ययः— 3/11, 7/11, 5/12, 8/13 व 2/15

(ख) यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संथान द्वारा अंकेक्षण को प्रदत्त सूचनाओं व अभिलेख पर आधारित है। संस्थान द्वारा प्रदत्त किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान ही न करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है।

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	5	सावधि जमा योजना के अन्तर्गत गत वर्षों में निवेशित राशियों व अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	विवरण पैरे में दिया गया है

2	6	अवधि 17.8.2007 से 16.9.2010 तक के अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत न करने बारे	विवरण पैरे में दिया गया है
3	13	प्रशिक्षकों को मानदेय/वेतन के रूप में किए गए राशि के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.84
4	14	चपड़ासी व अंशकालीन सफाई कर्मचारी को मानदेय/वेतन के रूप में किए गए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.51
5	19	आवेदन पत्रों के बिना प्रतिभूति राशि का भुगतान करना	0.58
6	20	भवन निधि से दिए गए ऋण की राशि को वापिस निधि में जमा न करवाना	0.50

3 अंकेक्षण शुल्क

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ के निधि लेखों के वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹9000/– आंका गया, जिसे प्रधानाचार्य द्वारा पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़ के बैंक ड्राफ्ट संख्या यू0के0जेड 098944 दिनांक 26.8.2015 के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के नाम प्रेषित कर दिया है।

4 वित्तीय स्थिति

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ द्वारा प्रस्तुत संस्थान की विभिन्न निधियों की अवधि 16.9.2010 से 31.3.2015 तक की वित्तीय स्थिति व दिनाँक 31.3.2015 को अन्तिम शेषों का विवरण बैंक खाता सहित निम्न प्रकार से है।

(A) Financial Statement of Student Welfare Fund in respect of Govt. ITI Santoshgarh Distt Una (H.P)
16.9.2010 to 31.3.2015

Sr. No.	Session	Opening Fund	Income (+)	Interest (+)	Total	Exp (-)	Closing
1	2010-11	116955 (Transfer from ITI Una)	132826	1595	251376	149821	101555
2	2011-12	101555	289353	2806	393714	295388	98326
3	2012-13	98326	159540	2676	260542	213763	46779
4	2013-14	46779	354499	3056	404334	315530	88804
5	2014-15	88804	546935	5771	641510	598497	43013

दिनांक 31.3.2015 को रोकड बही के अनुसार अन्तिम शेष की राशि	**₹43013**
दिनांक 31.3.2015 को आई0डी0बी0आई0 बैक शाखा ऊना के बचत खाता संख्या 703104000004091 में जमा शेष राशि	₹43013

(B) Financial Statement of Security Fund in respect of Govt. ITI Santoshgarh Distt Una (H.P)

16.9.2010 to 31.3.2015

Sr. No.	Session	Opening Fund	Income (+)	Interest (+)	Total	Exp (-)	Closing
1	2010-11	17500(Transfer from ITI Una)	13500	481	31481	500	30981
2	2011-12	30981	19500	1412	51893	13000	38893
3	2012-13	38893	14000	1717	54610	7000	47610
4	2013-14	47610	44000	1804	93414	38000	55414
5	2014-15	55414	14000	2142	71556	9500	62056
	दिनांक 31.3.2015 को रोकड बही के अनुसार अन्तिम शेष राशि						**₹62056**
	दिनांक 31.3.2015 को आई0डी0बी0आई0 बैक शाखा ऊना के बचत खाता संख्या 703104000004084 में जमा शेष राशि						₹62056

(C) Financial Statement of Training & Placement Fund in respect of Govt. ITI Santoshgarh Distt Una (H.P)

16.9.2010 to 31.3.2015

Sr. No.	Session	Opening Fund	Income (+)	Interest (+)	Total	Exp (-)	Closing
1	2010-11	7350 (Transfer from ITI Una)	2700	171	10221	-	10221
2	2011-12	10221	6900	593	17714	-	17714
3	2012-13	17714	8100	919	26733	-	26733
4	2013-14	26733	8250	1195	36178	-	36178
5	2014-15	36178	8500	1571	46249	-	46249
1	**दिनांक 31.3.2015 को रोकड बही के अनुसार अन्तिम शेष राशि**						**=₹46249**
2	दिनांक 31.3.2015 को आई0डी0बी0आई0 बैक शाखा ऊना के बचत खाता संख्या 70310400000410 में जमा शेष राशि						=₹46249

(D) Financial Statement of Building Fund in respect of Govt. ITI Santoshgarh Distt Una (H.P)
16.9.2010 to 31.3.2015

Sr. No.	Session	Opening Fund	Income (+)	Interest (+)	Total	Exp (-)	Closing
1	2010-11	36250 (Transfer from ITI Una)	13500	844	50594	-	50594
2	2011-12	50594	37000	2670	90264	52500	37764
3	2012-13	37764	40500	2542	80806	-	80806
4	2013-14	80806	59750	3954	144510	-	144510
5	2014-15	144510	46500	5012	196022	50000	146022
	दिनांक 31.3.2015 को रोकड बही के अनुसार अन्तिम शेष राशि						₹146022
	दिनांक 31.3.2015 को आई0डी0बी0आई0 बैक शाखा ऊना के बचत खाता संख्या 703104000004077 में जमा शेष राशि						₹146022
नोटः–	दिनांक 31.3.2015 को सावधिक निवेश के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार निवेशित राशि, जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया। सावधिक निवेश का विवरण निम्न प्रकार से है						₹65575

Sr.No.	FDR No.	Date of Investment	Investment Amount	Date of Maturity	Matured Amount	Rate of interest	Interest Earned	Term	Bank
	5407755	12.2.15	65575	13-2-15	71416	8.60%	5841	12 Months 1 days	IDBI Bank Una

5 **सावधि जमा योजना के अन्तर्गत गत वर्षों में निवेशित राशियों व अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखाँकन न करना**

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ के भवन निधि से गत वर्षों में सावधिक निवेश के अन्तर्गत राशियाँ बैंकों में निवेशित की गई है व उन पर समय–2 पर ब्याज भी प्राप्त हुआ है, लेकिन न तो निवेशित राशियों को व न ही निवेशित राशियों पर समय–2 पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है। इस प्रकार सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बही के अन्तशेष में न दर्शाना व निवेशित राशियों पर समय–2 पर अर्जित ब्याज को आय पक्ष में न दर्शाना अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। अतः उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण तकनीकी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ तुरन्त अपेक्षित कार्रवाई करने के

प्रयोजन से लाया जाता है, ताकि सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों व निवेशित राशियों पर समय–2 पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन सम्भव हो सके। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। अवधि 9.2.2012 से 31.3.2015 के दौरान निवेशित राशियो ंव निवेशित राशियो ंपर अर्जित ब्याज, जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया है, का विवरण निम्नानुसार हैः–

1	एफ0डी0सं0 / बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज की दर	अर्जित ब्याज	अवधि
1	1793826 आई0डी0बी0आई0 ऊना	9.2.12	50000	10.2.13	54936	9.50%	4936	12 माह 1 दिन
2	3089556 आई0डी0बी0आई0 ऊना	10.2.13	54936	11.2.14	59917	8.75%	4981	12 माह 1 दिन
3	4702909 आई0डी0बी0आई0 ऊना	11.2.14	59917	12.2.15	65575	9.10%	5658	12 माह 1 दिन
4	5407755 आई0डी0बी0आई0 ऊना	12.2.15	65575	13.2.16	71416	8.60%	–	12 माह 1 दिन

6 अवधि 17.8.2007 से 16.9.2010 तक के अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत न करने बारे

प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्या EDN (TE) A(1) 30/2006 दिनांक 17.8.2007 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ प्रारम्भ किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ के प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना द्वारा कार्यभार देते समय अवधि 17.8.2007 से 16.9.2010 तक के छात्र कल्याण निधि, प्रतिभूति निधि, प्रशिक्षण एवं स्थापन निधि व भवन निधि की रोकड़ बहियाँ, बचत खाते, वाउचर फाईलें तथा अवधि 17.8.2007 से 27.6.2009 तक के स्टॉक रजिस्टर तथा अवधि 17.8.2007 से 14.7.2010 तक के शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर, प्रदान नहीं किए गए है, जिसके कारण अवधि 17.8.2007 से 16.9.2010 के दौरान शुल्क एवं निधियों के रूप में प्राप्त आय व उक्त अवधि के दौरान निधियों से किए गए व्ययों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान जाँच सम्भव

न हो सकी। अतः वाँछित अभिलेख सम्बन्धित संस्थान से प्राप्त किए जाने व सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं, ताकि उक्त अवधि के दौरान प्राप्त आय व किए गए व्यय तथा शेष बची राशि की जाँच सम्भव हो सके।

7 अन्य संस्थानों से भेजे दर्शाए गए प्रशिक्षुओं से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा माह 1/2011 व 8/2011 के दौरान विभिन्न ट्रेडों के अन्तर्गत छात्रों/प्रशिक्षुओं को प्रवेश देकर, प्रवेश शुल्क प्रति प्रशिक्षु ₹200/– की दर से तथा शैक्षणिक शुल्क की प्रति प्रशिक्षु ₹2400/– (वार्षिक) की दर से रसीदों के अन्तर्गत वसूली नहीं की गई है। उक्त छात्र प्रशिक्षु अन्य संस्थानों से भेजे हुए दर्शाए गए है, लेकिन उक्त प्रशिक्षुओं के प्रवेश पत्र व अन्य संस्थानो ंसे प्रशिक्षु भेजने सम्बन्धी सूची अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त प्रशिक्षुओं के प्रवेश पत्र व अन्य संस्थानों से प्रशिक्षु भेजने सम्बन्धी सूची सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। अन्य संस्थानो ंसे भेजे दर्शाए गए प्रशिक्षुओं का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	दिनांक	छात्र का नाम	ट्रेड	रसीद संख्या
1	13.1.11	विवेक शर्मा	कोपा	11314
2	13.1.11	कृष्ण देव	कोपा	11315
3	13.1.11	रिंकू	कोपा	11316
4	13.1.11	सुरजीत कुमार	कोपा	11317
5	13.1.11	भरत भूषण	कोपा	11319
6	13.1.11	सुशील कुमार	कोपा	11319
7	13.1.11	अनिल कुमार	कोपा	11320
8	13.1.11	अंशुल राणा	कोपा	11321
9	13.1.11	राहुल सिंह	कोपा	11322
10	13.1.11	विवेक चन्देल	टूल एंड डाई मेकर	11323
11	13.1.11	रवि कुमार	टूल एंड डाई मेकर	11324
12	13.1.11	पवन कुमार	टूल एंड डाई मेकर	11325
13	13.1.11	सुमित कुमार	टूल एंड डाई मेकर	11326
14	17.8.11	सौरभ कुमार	एम0एम0बी0	11926

8 सरकारी राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने के उपरान्त सरकारी कोष में जमा करवाना

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से प्रवेश शुल्क व शैक्षणिक शुल्क के रूप में वसूली की गई राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने के उपरान्त कई–2 दिनों के बाद सरकारी कोष में जमा करवाया गया है, जबकि नियमानुसार सरकारी राशि को वसूली के अगले दिन व अगले दिन अवकाश होने की स्थिति में उससे अगले दिन सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य होता है। अतः सरकारी राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने के उपरान्त कई–2 दिनों के बाद सरकारी कोष में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सरकारी राशि की वसूली के उपरान्त अवलिम्ब सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। सरकारी राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने के उपरान्त सरकारी कोष में जमा करवाने का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	वसूली की तिथि	वसूली गई राशि	सरकारी कोष में जमा करवाने की तिथि	जितने दिन बाद सरकारी कोष में जमा करवाई
1	6.7.13	600	27.8.13	51 दिन
2	9.7.13	12200	27.8.13	48 दिन
3	11.7.13	10800	27.8.13	46 दिन
4	8.8.13	24200	27.8.13	18 दिन
5	18.8.13	24400	27.8.13	8 दिन
6	5.7.14	3800	5.12.14	152 दिन
7	7.8.14	800	5.12.14	119 दिन
8	10.8.14	136800	5.12.14	116 दिन
9	14.8.14	1800	5.12.14	112 दिन
10	26.8.14	9000	5.12.14	100 दिन
11	15.9.14	4600	5.12.14	80 दिन

9 सरकारी राशि को सरकारी कोष में देरी से जमा करवाना

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से प्रवेश शुल्क व शैक्षणिक शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को वसूली के अगले दिन सरकारी कोष में जमा न करवाकर कई–2 दिनों तक हस्तगत रखकर उसका अस्थाई दुरूपयोग किया गया है, जबकि नियमानुसार सरकारी राशि को वसूली के अगले दिन व अगले दिन अवकाश होने की स्थिति में उससे अगले दिन सरकारी कोष में जमा करवाना

अनिवार्य है। अतः उक्त अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में सरकारी राशि को वसूली के उपरान्त अविलम्ब सरकारी कोष में जमा करवाया जानी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। सरकारी राशि को देरी से जमा करवाने के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वसूली की तिथि	वसूली गई राशि	सरकारी कोष में जमा करवाने की तिथि	जितने दिन बाद सरकारी कोष में जमा करवाई
1	14.7.10	19000	22.7.10	7 दिन
2	31.8.10	22300	7.9.10	6 दिन
3	11.7.11	21600	16.7.11	4 दिन
4	17.8.11	32000	25.8.11	7 दिन
5	27.8.12	3000	7.9.12	10 दिन
6	26.8.13	1800	9.9.13	13 दिन
7	6.9.13	1400	3.10.13	26 दिन

10 सरकारी कोष में ₹12000/– को चालान द्वारा जमा करवाने से सम्बन्धित चालान प्रस्तुत न करने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि संस्थान में विभिन्न ट्रेडों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से दिनांक 13.2.2015 कोशैक्षणिक शुल्क के रूप में ₹12000/– प्राप्त की गई दर्शाई गई है, लेकिन उक्त वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित चालान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। यद्यपि उक्त राशि टी आर–V संख्या 2380495, दिनांक 13.2.2015 में दर्ज कर ली गई है। अतः उक्त राशि को सरकारी कोष में चालान द्वारा जमा करवाने से सम्बन्धित चालान सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सरकारी राशि की सरकारी कोष में जमा करवाने की वास्तविकता की जाँच सम्भव हो सके।

11 श्री रविन्द्र कुमार, अनुदेशक टूल एंड डाई मेकर को अतिरिक्त यूनिट–II के प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मानदेय के रूप में किए गए ₹33360/– के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से माह 2/2015 के दौरान श्री रविन्द्र कुमार, अनुदेशक, टूल एंड डाई मेकर को अतिरिक्त ट्रेड यूनिट–II के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के एवज में मानदेय के रूप में मूल वेतन की ₹13900 के 20**%** की दर

पर ₹2780/– प्रति माह की दर से अवधि अगस्त/2013 से जुलाई/2014 के दौरान 12 माह हेतु कुल राशि (2780X12)=₹33360 का भुगतान किया गया दर्शाया है। उक्त व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उक्त अनुदेशक को अतिरिक्त यूनिट–II के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जारी किए गए आदेश की प्रतिलिपि अंकेक्षण मे ंसत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की है व न ही उक्त प्रतिलिपि अभिलेख में मौजूद है।

(ख) उक्त अनुदेशक द्वारा किस अवधि से किस अवधि के दौरान अतिरिक्त यूनिट–II के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था उससें सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ग) निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर के पत्र ंसख्या एस0टी0बी0 (आई0टी0) एच0बी0 (4) 520/2002–89105 दिनांक 8.12.2014 के अनुसार अतिरिक्त यूनिट के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रचलित दरो ंपर भुगतान करने हेतु आदेश जारी किए गए है, लेकिन उक्त पत्र में दरे ंउल्लेखित नहीं है जिनके आधार पर भुगतान किया गया दर्शाया गया है, परन्तु सम्बन्धित दरें औद्योगिक प्रबन्ध कमेटी (आई0एम0सी0) द्वारा निर्धारित की गई है। अतः आई0एम0सी0 द्वारा निर्धारित दरो ंपर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(घ) इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी के आदेशों के बिना अतिरिक्त यूनिट–II के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मूल वेतन के 20**%** की दर से अर्थात ₹2780/– प्रतिमाह की दर से मानदेय की ₹33360/– का भुगतान छात्र कल्याण निधि से करना हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण अधिसूचना संख्या–ई0डी0एन0 (टी0ई0) ए (3)–2/2004 दिनांक 8.7.2010 के नियम–3 निधि का परिचालन एवं उपयोग के अनुसार सही नहीं है। अतः उक्त अनियिमित व्यय को नियमित करवाने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 श्री याद राम (रोकडिया) को भुगतान की गई ₹10700/– से सम्बन्धित अनियमितताऐं

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से श्री याद राम (रोकडिया) को छात्र कल्याण निधि के लेखों एवं रोकड़ बही इत्यादि के रख रखाव के लिए दिनांक 13.12.10 से 31.3.15 के दौरान मानदेय के रूप में निम्नानुसार ₹10700 का भुगतान किया गया दर्शाया है।

(i)	दिनांक 31.12.10 को किया गया भुगतान	500
(ii)	दिनांक 1.1.11 से 31.3.15 तक प्रतिमाह ₹200 की दर से माह का मानदेय के रूप में किया गया भुगतान (51X200)	10200
	कुल योग	**₹10700**

उपरोक्त व्यय की जाँच करने पर निम्नलिखित अभियुक्तियाँ उपरोक्त भुगतान पाई गईः–

(क) उपरोक्त भुगतान श्री याद राम (रोकडिया) को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ के छात्र कल्याण निधि के लेखों एवं रोकड़ बही के रख रखाव हेतु किया गया, जबकि छात्र कल्याण निधि से श्री श्याम सुन्दर को दिनांक 2.3.2009 को लिपिक के पद पर नियुक्त कर लिया गया था। अतः श्री श्याम सुन्दर से छात्र कल्याण निधि के लेखों व रोकड़ बही का रख रखाव का कार्य न करवाकर छात्र कल्याण निधि के लेखों व रोकड़ बही के रख रखाव का कार्य श्री याद राम से करवाकर प्रतिमाह ₹200 की दर से किया गया भुगतान नियमों के विपरीत प्रतीत होता है। अतः उक्त भुगतानो ंको नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उकत राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) उपरोक्त उल्लेखित अवधि 2.3.2009 से 31.3.2015 के दौरान श्री श्याम सुन्दर (लिपिक) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़ द्वारा किए गए कार्यो की विवरणी भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 प्रशिक्षकों को मानेदय/वेतन के रूप में किए गए ₹84000/– के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं

जाँच के दौरान पाया गया कि प्रशिक्षकों को मानदेय/वेतन के रूप में छात्र कल्याण निधि से निम्नविवरणानुसार ₹84000/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	माह/ दिनांक	कर्मचारी का नाम	ट्रेड/ व्यवसाय	थियोरी	प्रैक्टिकल	दर	योग	भुगतान की गई राशि
1	12.10.10	श्री अरविन्द कुमार (प्रशिक्षक)	कोपा	46	–	180	8280	13900
				–	86	90	7740	
							16020	
2	4.3.11	श्री अरविन्द कुमार (प्रशिक्षक)	कोपा	41	–	180	7380	13900
				–	73	90	6570	
							13950	
3	1.7.11	श्री अरविन्द कुमार (प्रशिक्षक)	कोपा	44	–	180	7920	13900
				–	76.5	90	6885	
							14805	
4	3.5.12	श्री अरविन्द कुमार (प्रशिक्षक)	कोपा	–	–	–		14100
5	14.12.14	श्री गुरनाम सिंह (प्रशिक्षक)	गणित व ड्राईंग	82	–	180	14760	14100
6	9.2.15	श्री गुरनाम सिंह (प्रशिक्षक)	गणित व ड्राईंग	91	–	180	16380	14100
							कुल योग	**₹84000**

निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर के पत्र संख्या एस0टी0डी0 (टी0ई0) एच0सी0 (1)/2010–20676–755 दिनांक 31.5.2011 के अनुसार, अवधि/घण्टे के आधार पर रखे ट्रेनर/अनुदेशकों को जो मानदेय के रूप में भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया गया है, उसकी एस0ओ0ई0 99 मानदेय से भरपाई करने के उपरान्त अपेक्षित राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त राशि के अतिरिक्त अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के दौरान विभिन्न अनुदेशकों/ट्रेनरों को मानदेय/वेतन के रूप में भुगतान की गई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने के उपरान्त अपेक्षित राशि की प्रतिपूर्ति एस0ओ0ई0 99 मानदेय से करके सम्पूर्ण राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 चपड़ासी व अंशकालीन सफाई कर्मचारी को मानदेय/वेतन के रूप में किए गए ₹51816/– के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताऐं

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से भी अच्छर कुमार चपड़ासी को तथा श्री शिव कुमार, अंशकालीन सफाई कर्मचारी को मानदेय/वेतन के रूप में नियमानुसार ₹51816/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

क्र0सं0	माह/दिनांक	कर्मचारी का नाम	पद	भुगतान की गई राशि
1	6.10.10	श्री अच्छर कुमार	चपड़ासी	3930
2	1.7.11	श्री अच्छर कुमार	चपड़ासी	3930
3	3.5.12	श्री अच्छर कुमार	चपड़ासी	5200
		श्री शिव कुमार		1920
4	7.8.13	श्री अच्छर कुमार	चपड़ासी	5200
5	6.9.13	श्री शिव कुमार	अंशकालीन सफाई कर्मचारी	2356
		श्री अच्छर कुमार	चपड़ासी	5200
6	1/14	श्री अच्छर कुमार	चपड़ासी	5200
		श्री शिव कुमार	अंशकालीन सफाई कर्मचारी	2356
7	4.12.14	श्री अच्छर कुमार	चपड़ासी	5200
		श्री शिव कुमार	अंशकालीन सफाई कर्मचारी	2520
8	9.2.15	श्री अच्छर कुमार	चौकीदार	6200
		श्री शिव कुमार	अंशकालीन सफाई कर्मचारी	2604
			कुल योग	**₹51816**

हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0 (टी0ई0) ए (3)–2/2004 दिनांक 8.7.10 के (नियम 3 निधि का परिचालन एवं उपयोग) के अनुसार छात्र कल्याण निधि से उपरोक्त उल्लेखित व्यय करने का प्रावधानं नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त व्यय की राजकीय कोष से अथवा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के दौरान उक्त कर्मचारियों को मानदेय/वेतन के रूप में भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि की गणना संस्था स्तर पर करने के उपरान्त अपेक्षित राशि की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से अथवा उचित स्त्रोत से करके यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

15 बिजली के बिल के रूप में ₹1830/– का अनियमित भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से दिनांक 26.4.2011 को मीटर संख्या 6–15181 के बिजली के बिल की ₹1830/– का भुगतान किया गया है। हिमाचल

प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के पत्र संख्या ई0डी0एन0 (टी0ई0) ए (3)–2/2004 दिनांक 8.7.2010 के नियम (3) निधि का परिचालन तथा उपयोग के अनुसार, छात्र कल्याण निधि से उपरोक्त उल्लेखित व्यय करने का प्रावधान नहीं है, फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं है। अतः उक्त व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 प्रवेश के दौरान अभ्यार्थियों व अतिथियों के जलपान पर ₹990/– का अनियमित व्यय करना

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 12/2014 के दौरान प्रवेश के दौरान अभ्यार्थियों व अतिथियों के जलपान पर छात्र कल्याण निधि से श्री सन्जीव कुमार, चौकीदार को निम्नविवरणानुसार ₹990/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

क्र0सं0	बिल सं0/दि0	फर्म का विवरण	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	शून्य/15.7.14	लबली स्वीटस हाऊस नंगल रोड,ऊना	पनीर पकौडा	1½ कि0ग्रा0	240	360
			वैज पकौडा	1½ कि0ग्रा0	140	210
			ठण्डा (2 ली0)	3	75	225
					योग	**795**
	शून्य/15.7.14	शर्मा वैष्णो कैन्टीन, ऊना	चाय कप	39	5	195
			उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 का कुल योग (795+195)			**₹990**

हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0 (टी0ई0) ए (3)–2/2004 दिनांक 8.7.10 के (नियम 3 निधि का परिचालन एवं उपयोग) के अनुसार, प्रवेश के दौरान छात्र कल्याण निधि से अभ्यार्थियों व अतिथियों को जलपान के रूप में व्यय करने का प्रावधान नहीं है। अतः उक्त व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 एल0आई0सी0 इण्डिया, शिमला को किए गए ₹8400/– के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 15.1.2014 को छात्र कल्याण निधि से 84 प्रशिक्षुओं की बीमा पॉलिसी हेतु ₹100/– प्रति प्रशिक्षु की दर से ₹8400/– का भुगतान चैक

संख्या 014000 दिनांक 6.1.2014 द्वारा एल0आई0सी0 इण्डिया शिमला को किया गया दर्शाया है। उक्त व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उपरोक्त व्यय की दर्शाई गई ₹8400/– की सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्ति की रसीद अभिलेख में मौजूद नहीं है। अतः उक्त राशि से सम्बन्धित रसीद, सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त करके सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) संस्थान के इन 84 प्रशिक्षुओं की बीमा पॉलिसी/अनुबन्ध पत्र भी अभिलेख में मौजूद नहीं है। अतः उक्त कार्यालय से 84 प्रशिक्षुओं का बीमा पॉलिसी/अनुबन्ध प्रपत्र प्राप्त करके सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए, ताकि कृत भुगतान की प्रमाणिकता की जाँच सम्भव हो सके।

18 पहचान पत्रों को अत्याधिक मात्रा में छपवाकर अनियमित व्यय करना

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 3/2011 के दौरान छात्र कल्याण निधि से 500 पहचान पत्र छपवाने पर मैसर्ज ग्लैक्सी ऑफसैट प्रिंटर्स ऊना को ₹4000/– का भुगतान किया गया दर्शाया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

दिनांक	फर्म का विवरण	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
19.3.11	ग्लैक्सी ऑफसैट प्रिंटर्स, नंगल रोड ऊना	पहचान पत्र	500	8	4000

उपरोक्त छपवाए गए पहचान पत्रों की छात्र कल्याण निधि के स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ करने के उपरान्त इन्हें खेल प्रभारी श्री रविन्दर शर्मा को जारी किया गया दर्शाया गया है व उक्त खेल प्रभारी द्वारा खेल स्टॉक रजिस्टर के पेज संख्या 21 पर स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज करने के उपरान्त दिनांक 24.7.2011 से 26.11.2014 के दौरान 287 पहचान पत्र वितरित किए गए दर्शाकर शेष 213 पहचान पत्र अन्तशेष के रूप में दर्शाए गए है। अतः दिनांक 19.3.2011 को छपवाए गए 500 पहचान पत्रों में से दिनांक 31.3.2015 तक 213 पहचान पत्र अन्तशेष रहना अनावश्यक व्यय को परिलक्षित करता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

19 आवेदन पत्रों के बिना प्रतिभूति की ₹58000/– का भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि प्रतिभूति निधि से विभिन्न प्रशिक्षुओं को विभिन्न मासो ंके दौरान प्रतिभूति की ₹58000/– वापिस की गई दर्शाई है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	राशि	विवरण
1	30.7.11	11000	22 छात्र ₹500 प्रति छात्र की दर से
2	5.8.13	38000	76 छात्र ₹500 प्रति छात्र की दर से
3	15.9.14	9000	18 छात्र ₹500 प्रति छात्र की दर से
	कुल योग	**58000**	

उपरोक्त उल्लेखित वापिस की गई प्रतिभूति की राशि से सम्बन्धित प्रशिक्षुओं के आवेदन पत्र अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। आवेदन पत्रों के अभाव में की गई संस्थान प्रतिभूति राशि को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः वाँछित आवेदन पत्र आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए ताकि भुगतान की गई राशि की वास्तविकता की जाँच सम्भव हो सके।

20 भवन निधि से दिए गए ऋण की ₹50000/– को वापिस निधि में जमा न करवाना

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 1.8.2014 को भवन निधि से छात्र कल्याण निधि को ₹50000/– का ऋण दिया गया, लेकिन उक्त राशि को दिनांक 31.3.2015 तक वापिस भवन निधि में जमा नहीं करवाया गया है। अतः उक्त ऋण के रूप में प्रदान की गई राशि को छात्र कल्याण निधि से आहरित करके वापिस भवन निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 स्टॉक व स्टोर में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवाना

संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने के उपरान्त भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के वित्तीय नियम 140 (2) के अनुसार उक्त सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार करवाया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सत्यापन यथाशीघ्र करवाया जाए व भविष्य में इन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित सत्यापन नियमानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

22 स्थाई व अस्थाई (Consumable and Non Consumable) सामान का अलग–2 स्टॉक रजिस्टर र रखना

संस्था द्वारा विभिन्न निधियों से स्थाई व अस्थाई सामान (Consumable and non consumable) हेतु अलग–2 स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नही किया गया है, जिससे स्टॉक में कृत प्रविष्टियों से यह स्पष्ट करना कठिन है कि विद्यालय के पास अमुक तिथि को अमुक

वस्तु की कितनी प्रमात्रा विद्यमान है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाते हुए सभी निधियों के स्थाई व अस्थाई (Consumable and Non Consumable) सामान के पृथक–2 स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव करते हुए प्रत्येक मदों की प्रविष्टियों पृथक–2 पन्नों पर की जाए ताकि उपलब्ध सामान की प्रमात्रा का अवलोकन तिथिवार सुनिश्चित हो सके।

23 रसीदों के स्टॉक रजिस्टर बारे

छात्रो से शुल्क एवं निधियों की वसूली रसीदों द्वारा की गई, लेकिन अंकेक्षण अवधि में प्राप्त की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जबकि प्रत्येक रसीद पुस्तिका की स्टॉक प्रविष्टि तथा जारी किए जाने तथा प्रयोग में लाए जाने सम्बन्धी ब्यौरा सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित था, परन्तु संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि में कुल प्राप्त रसीदों व उनके उपयोग की जानकारी अभिलेख सहित अंकेक्षण में उपलबध नहीं करवाई गई है। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर पड़ताल हेतु प्रस्तुत करें।

24 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच (2)सी (15) (xi) (v) 124/15–7933–7935 दिनांक18.12.15, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सन्तोषगढ़, जिला ऊना, (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भिजवायें।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औ़द्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.